पत्र सं0–7 / स्थापना व्यय–आवंटन–02 / 2021–...90(7)स्वा/

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

डोरण्डा, राँची–834002

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद।

/ स्वा0,राँची,दिनांक :...05-01-2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022–23 के व्यय हेतु स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी 110–अस्पताल और औषधालय अन्तर्गत 05–पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद हेतु ₹ 10,63,43,900/– (दस करोड़ तिरसठ लाख तैतालीस हजार नौ सौ)/01 पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद – जेनरेटर एवं इन्सीनरेटर (ईंधन एवं रख–रखाव) हेतु ₹ 11,00,000/– (ग्यारह लाख) कुल ₹ 10,74,43,900/– (दस करोड़ चौहत्तर लाख तैतालीस हजार नौ सौ) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन विवरणी में अंकित कार्यालय को व्यय हेतु Online आवंटन संसूचित किया जाता है:–

कमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या–20/2210– चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी	110–अस्पताल और औषधालय 05–पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद	₹ 10,63,43,900/– (दस करोड़ तिरसठ लाख तैतालीस हजार नौ सौ)
2	मांग संख्या–20/2210– चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी	110–अस्पताल और औषधालय 01–पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद– जेनरेटर एवं इन्सीनरेटर (ईंधन एवं रख–रखाव)	₹ 11,00,000/– (ग्यारह लाख)
	कुल			₹ 10,74,43,900/– (दस करोड़ चौहत्तर लाख तैतालीस हजार नौ सौ)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक 1800 दिनांक 15.07.03 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगें। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगें की विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

03.01.2023
(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

03.01.23
(ध्रुव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

4.1.23
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0आर0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग–अलग रखेंगे।

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है । अधिकाई व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

8. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

9. राशि की निकासी धनबाद कोषागार से की जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्त्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या– 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित विभाग के पत्र संख्या– 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

12. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 7/स्थापना व्यय–आवंटन–02/2021- 89(7)ब /स्वा0,राँची,दिनांक–05-01-2023

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची, पिन–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 7/स्थापना व्यय–आवंटन–02/2021- 89(7)ब /स्वा0,राँची,दिनांक–05-01-2023

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(शिवजी वर्मा) 03.01.2023
सरकार के अवर सचिव

(ध्रुव प्रसाद) 03.01.23
सरकार के उप सचिव

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

क्र0	प्राथमिक इकाई	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	संविदा भत्ता	10966000	20817000	31783000
2	कार्यालय व्यय	1600000	2900000	4500000
3	किराया दर कर	1548100	1951900	3500000
4	आपूर्ति एवं सामग्री	12550000	22450000	35000000
5	चिकित्सकीय आपूर्ति	20075000	50075000	70150000
6	विद्युत व्यय	7000000	8000000	15000000
7	मोटरगाड़ी ईधन एवं मरम्मति	150000	150000	300000
8	जेनरेटर एवं इन्सीनररेटर	900000	1100000	2000000
	कुल	**54789100**	**107443900**	**162233000**

आवंटन का सारांश

क्र0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	कुल आवंटित राशि
1	संविदा भत्ता	20S2210011005000108	20817000
2	कार्यालय व्यय	20S2210011005000315	2900000
3	किराया दर कर	20S2210011005000316	1951900
4	आपूर्ति एवं सामग्री	20S2210011005000323	22450000
5	चिकित्सकीय आपूर्ति	20S2210011005000336	50075000
6	विद्युत व्यय	20S2210011005000337	8000000
7	मोटरगाड़ी ईधन एवं मरम्मति	20S2210011005000442	150000
8	जेनरेटर एवं इन्सीनररेटर	20S2210011001000375	1100000
कुल आवंटित राशि			**107443900**

कुलः 10,74,43,900/– (दस करोड़ चौहत्तर लाख तैतालीस हजार नौ सौ)।

90(7)ब
05-01-2023

03.01.2023
(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

03.01.23
(ध्रुव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

.1.23
(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 05 - पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, धनबाद

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 01 - पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद - जेनरेटर एवं इन्सीनरेटर (ईंधन एवं रख-रखाव)

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100111001000375 जेनरेटर का ईंधन	20S22100111005000108 संविदा भत्ता	20S22100111005000315 कार्यालय व्यय	20S22100111005000316 किराया, दर एवं कर	20S22100111005000323 आपूर्ति एवं सामग्री	20S22100111005000336 चिकित्सीय आपूर्ति	20S22100111005000337 विद्युत व्यय	20S22100111005000442 मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dhanbad	DHNMED079	Dr. Arun Kumar Barnwal	Supt.Shaheed N.M.M.C. Hospital	₹11,00,000.00 (72291)	₹2,08,17,000.00 (72301)	₹29,00,000.00 (72307)	₹19,51,900.00 (72310)	₹2,24,50,000.00 (72315)	₹5,00,75,000.00 (72318)	₹80,00,000.00 (72321)	₹1,50,000.00 (72323)	₹10,74,43,900.00

कुल आवंटित राशि :- ₹10,74,43,900.00 (दस करोड चौहत्तर लाख तीरयालीस हजार नौ सौ) **रूपये मात्र** |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(ARUN KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

90(7)ब
05-01-2023